राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 331 / 2008 / भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 332 / 2008 / भीलवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भीलवाड़ा. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. खदाव, उप–राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31 / 05 / 2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 61, 62 / RST / 06–07 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 13.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 2003–04 व 2004–05 के लिये राजस्थान टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इन्टु लोकल एरियाज एक्ट, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 12 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.05.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स दिनेश पाउचेज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2007 के आलोक में सशर्त स्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

2. दोनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. हस्तगत प्रकरणों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयातित माल फर्नेस ऑयल, एच.एस.डी. एवं डायजकेमिकल पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर का आरोपण किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान

लगातार................2

उच्च न्यायालय के **मैसर्स दिनेश पाउचेज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2007** के आलोक में सशर्त स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये हैं।

4. प्रकरण में अपीलीय आदेश तक प्रवेश कर की संवैधानिकता सम्बन्धी याचिका माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित थी, जिसका निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस स्टील बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा में दिये गये निर्णय दिनांक 11.11.2016** से किया जाकर प्रवेश कर अधिनियम को वैधानिक घोषित किया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में. राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **अपील संख्या 2213 / 2008 / कोटा मैसर्स मित्तल पिगमेन्ट्स प्रा0 लि0 कोटा बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—बी, कोटा व अन्य** में प्रवेश कर आरोपण की पुष्टि की जा चुकी है।

5. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर, कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.05.2006 को पुनर्स्थापित किया जाता है एवं अपीलीय आदेश अपास्त किया जाता है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष